

14  
राजस्थान सरकार  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिकित्सा-5/2018

दिनांक 16 जनवरी, 2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की जाने वाली बिड की शर्तों में पत्रांक एफ-2(43)आरएमएससी/प्रोक्यू/अपील अ./2013/278 दिनांक 26-2-2013 के द्वारा नियुक्त प्रथम अपील अधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर होंगे।

यह आदेश आर.एम.एस.सी.एल. द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-2(95)/आरएमएससी/प्रोक्यू/ड्रग/अपील/2013/796 दिनांक 18-7-2014 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिकित्सा-5/2018

दिनांक: 16 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
- 2- निजी सचिव अति.मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर
- 3- निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. एवं शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज0 जयपुर
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
- 5- निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर
- 6- विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी. जयपुर
- 7- कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी/वित्त/ई.पी.एम./लॉजिस्टिक) आरएमएससी, जयपुर
- 8- ए.जी.एम. (आई.टी.) आर.एम.एस.सी., जयपुर
- 9- रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-5) विभाग